न्यायालय बाल न्यायालय (सेशन न्यायाधीश) झुंझुनूं (राज०)

पीठासीन अधिकारीः– **सुनील कुमार पंचोली,**

(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

निर्णय दिनांकः 19 जून, 2026

सेशन प्रकरण संख्याः– 127/2025 (CIS N. 133/2025)

राज०राज्य बनाम अनिल कुमार

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या- 88/2025, पुलिस थाना धनूरी

अपराध अन्तर्गत धारा 137(2) भारतीय न्याय संहिता सपठित धारा 84 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम

भाग–प्रथम

A

परिवादी	मोहम्मद इकबाल पुत्र समुसुद्दीन, निवासी ग्राम व पोस्ट डाबड़ी धीर सिंह, तहसील मलसीसर, जिला झुंझुनूं (राज०)
प्रस्तुतकर्ता	राजस्थान राज्य जरिये लोक अभियोजक श्री रामावतार ढाका
अभियुक्त का नाम व पता	अनिल कुमार पुत्र कर्णसिंह, उम्र 27 वर्ष, निवासी रामपुरा, पुलिस थाना हमीरवास, जिला चूरू (राज०)
अधिवक्ता अभियुक्त	श्री मन्दरूप सिंह
अधिवक्ता परिवादी	श्री राजेश सुण्डा

B

अपराध की दिनांक	03.09.2025
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	03.09.2025
आरोप पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक	21.11.2025
आरोप विरचित किये जाने की दिनांक	17.01.2026
साक्ष्य प्रारंभ की दिनांक	27.03.2026
निर्णय आरक्षित किये जाने की दिनांक	16.06.2026
निर्णय दिनांक	**19.06.2026**
दण्डादेश की दिनांक	--

C

अभियुक्त का विवरण

क्र.सं.	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तार करने की दिनांक	जमानत पर रिहा होने की दिनांक	अपराध अंतर्गत धारा	दोषमुक्त अथवा दोषसिद्ध	पारित दण्डादेश	धारा-428 जाब्ता फौजदारी के उद्देश्य के लिए बालक द्वारा विचारण के दौरान निरूद्धगी में व्यतीत की गई अवधि
01	अनिल कुमार	06.10.25	06.10.25	137(2) बीएनएस सपठित धारा 84 जेजे एक्ट	**दोषमुक्त**		––

भाग–द्वितीय

अभियोजन/बचाव/न्यायालय गवाहान की सूची

अ–अभियोजन गवाहान

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार(चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
पी.डब्ल्यू 1	विजय सिंह	अन्य गवाह

पी.डब्ल्यू 2	बबीता	पुलिसकर्मी
पी.डब्ल्यू 3	ओमप्रकश पुत्र पोखरमल	पश्चातवर्ती अनुसंधान अधिकारी
पी.डब्ल्यू 4	मोहम्मद इकबाल	पीड़िता का पिता
पी.डब्ल्यू 5	आसिफ खोखर	फर्द दस्तयाबी पीड़िता
पी.डब्ल्यू 6	मोहम्मद रफीक	फर्द दस्तयाबी पीड़िता
पी.डब्ल्यू 7	पीड़िता	पीड़िता
पी.डब्ल्यू 8	खातीजा	पीड़िता की माता
पी.डब्ल्यू 9	रामनारायण	प्रारंभिक अनुसंधान अधिकारी
पी.डब्ल्यू 10	ओमप्रकाश पुत्र सोहनलाल	पुलिसकर्मी

ब–बचाव गवाह

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार(चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
-	–	–

–स–न्यायालय गवाह

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
	–––	

अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्श

अ–अभियोजन प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण
01	प्रदर्श पी 1	प्रति नवीन विद्यार्थी प्रवेश आवेदन पत्र पीड़िता
02	प्रदर्श पी 2	प्रति एसआर रजिस्टर
03	प्रदर्श पी 3	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त
04	प्रदर्श पी 4	प्रार्थना पत्र थानाधिकारी
05	प्रदर्श पी 5	तहरीरी रिपोर्ट
06	प्रदर्श पी 6	चाक एफआईआर
07	प्रदर्श पी 7	नक्शा मौका घटनास्थल
08	प्रदर्श पी 8	फर्द दस्तयाबी पीड़िता
09	प्रदर्श पी 9	बयान अन्तर्गत धारा 183 बीएनएसएस पीड़िता
10	प्रदर्श पी 10	न्यायालय आदेशिका
11	प्रदर्श पी 11	पत्र थानाधिकारी
12	प्रदर्श पी 12	प्रमाण पत्र धारा 63 साक्ष्य अधिनियम
13	प्रदर्श पी 13	पत्र थानाधिकारी
14	प्रदर्श पी 14	पत्र थानाधिकारी
15	प्रदर्श पी 15	पत्र थानाधिकारी
16	प्रदर्श पी 16	आदेश, बाल कल्याण समिति झुंझुनूं
17	प्रदर्श पी 17	नोटिस
18	प्रदर्श पी 18	नोटिस धारा 35(3) बीएनएसएस

ब–बचाव प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण
-	-	–

स–न्यायालय प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण
––		

द–भौतिक वस्तुएं

क्र.सं.	भौतिक वस्तु नंबर	विवरण
-	-	-

1. हस्तगत प्रकरण एक नाबालिग लड़की के साथ हुए अपराध से संबंधित है अतः प्रकरण में बालिका की पहचान गोपनीय रखने हेतु हस्तगत निर्णय में उसको ‘‘पीड़िता’’ के नाम से संबोधित किया जा रहा है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 03.09.2025 को परिवादी मोहम्मद इकबाल ने एक टाइपशुदा रिपोर्ट प्रदर्श पी 5 पुलिस थाना धनूरी पर इस आशय की प्रस्तुत की कि उसकी नाबालिग पुत्री पीड़िता जिसकी उम्र 16 वर्ष है, दिनांक 03.09.2025 को सुबह लगभग 10:30 बजे से घर से लापता है। घटना के समय उसकी पुत्री घर पर अकेली थी। उसकी मां घर के पीछे बाड़े में काम कर रही थी। जब वह लगभग 11:00 बजे वापस घर आयी तो पीड़िता घर पर नहीं मिली। उन्होंने तुरन्त घर, पड़ौस, रिश्तेदारों और परिचितों में उसकी तलाश की किन्तु उसका कोई पता नहीं चला। घर में तलाशी के दौरान उन्हें यह भी ज्ञात हुआ कि पीड़िता की मां के सोने के गहने (कानों के बाले, लॉकेट आदि) लगभग ढाई तोला सोना तथा पचास हजार रूपये नकद राशि भी घर से गायब है। यह आंशका है कि पीड़िता यह सामान लेकर गयी है। उसकी पुत्री पहले डाबड़ी के विद्यालय में नौवीं कक्षा तक पढ़ाई कर चुकी है और सामान्यतः घर से बाहर नहीं जाती है। उसके पास मोबाइल है जो अपने साथ ले गयी है इत्यादि। इस पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 88/2025 अन्तर्गत धारा 137(2) भारतीय न्याय संहिता दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। दौराने अनुसंधान पीड़िता को दस्तयाब किया गया तथा गवाहान के बयान लेखबद्ध किये गये एवं तत्पश्चात अन्य आवश्यक नियमित अनुसंधान पूर्ण कर अभियुक्त के विरूद्ध धारा 137(2) भारतीय न्याय

संहिता एवं धारा 84 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम के अन्तर्गत अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट झुंझुनूं के समक्ष आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया जहां से प्रकरण कमिट होकर इस न्यायालय में प्राप्त हुआ।

3. दिनांक 17.01.2026 को अभियुक्त के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2) सपठित धारा 84 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम के अन्तर्गत आरोप विरचित किया जाकर उसका विचारण किया गया।

4. अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण को साबित करने के लिए पृष्ठ संख्या 1 व 2 पर भाग द्वितीय में वर्णित गवाहान के बयान लेखबद्ध करवाये गये व पृष्ठ संख्या 2 पर भाग द्वितीय में वर्णित दस्तावेजात प्रदर्शित करवाये गये।

5. अभियुक्त को धारा 351 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत परीक्षित किया गया जिसमें उसने गवाहान द्वारा दी गई साक्ष्य को गलत होना बताया और साक्ष्य सफाई पेश करने से इनकार किया।

6. बहस उभयपक्ष सुनी गई एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

7. विद्वान लोक अभियोजक एवं विद्वान अधिवक्ता परिवादी ने तर्क प्रस्तुत किया कि पत्रावली पर आयी अभियोजन साक्ष्य से यह तथ्य सन्देह से परे साबित है कि अभियुक्त ने परिवादी की अप्राप्तवय पुत्री पीड़िता का उसकी विधिपूर्ण संरक्षकता से उसकी सम्मति के बिना बहला-फुसलाकर अपने गांव बेरी रामपुरा ले जाकर व्यपहरण किया। उनका तर्क है कि पी डब्ल्यू 7 पीड़िता ने अपनी साक्ष्य में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि दिनांक 03.09.2025 को अनिल ने उसे फोन पर कहा कि उसके पास नहीं आयी तो वह जहर खाकर मर जाएगा, उसने पीड़िता को बहला-फुसलाकर बुलाया और उसे अपने घर ले गया। उनका तर्क है कि पीड़िता को अभियुक्त के घर से ही दस्तयाब किया गया है। उनका तर्क है कि अन्य साक्षीगण ने भी अभियोजन कहानी की पुष्टि की है। अतः अभियुक्त को दोषसिद्ध कर कड़ी सजा दी जावे।

8. इसका विरोध करते हुए विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने तर्क प्रस्तुत किया कि पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह प्रकट होता हो कि

अभियुक्त द्वारा परिवादी की पुत्री का व्यपहरण किया गया। उनका तर्क है कि पीड़िता ने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया है कि वह स्वयं अपने घर से चलकर गयी थी, घर से जाने से पहले वह अभियुक्त से कभी नहीं मिली। उनका तर्क है कि पीड़िता ने अभियुक्त द्वारा उसे फोन करके बुलाया जाना कथन किया है परन्तु अभियोजन की ओर से न तो कोई मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं और न ही उनसे संबंधित कोई कॉल डिटेल प्रस्तुत की गयी है जिससे यह प्रकट होता हो कि अभियुक्त द्वारा पीड़िता को फोन किया गया हो। उनका तर्क है कि पीड़िता के माता-पिता ने भी अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि पीड़िता घर से खुद ही चलकर गयी थी उसे घर से कोई नहीं लेकर गया था। उनका तर्क है कि अनुसंधान अधिकारी पी डब्ल्यू 9 रामनारायण ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि उसके अनुसंधान में यह आया था कि पीड़िता को घर से कोई नहीं लेकर गया, वह खुद ही गयी थी, पीड़िता का घर से किसी ने अपहरण नहीं किया था। उनका तर्क है कि जिस समय पीड़िता को दस्तयाब किया जाना बताया गया है उस समय अभियुक्त पीड़िता के साथ नहीं था। उनका तर्क है कि अभियोजन पक्ष अपनी साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध सन्देह से परे साबित नहीं कर सका है। अतः अभियुक्त को दोषमुक्त किया जावे।

9. **हस्तगत प्रकरण में हमें सर्वप्रथम यह देखना है कि क्या बरवक्त घटना दिनांक 03.09.2025 को पीड़िता 18 वर्ष की आयु से कम की होकर अवयस्क थी ?**

10. इस संबंध में अभियोजन पक्ष की ओर से गवाह पी डब्ल्यू 1 विजय सिंह को परीक्षित कराया गया है जो उस विद्यालय का सहायक प्रशासनिक अधिकारी है जिसमें पीड़िता द्वारा अध्ययन हेतु प्रवेश लिया गया था, इसने कथन किया कि वह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डाबड़ी धीरसिंह में सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्यरत था, पुलिस थाना धनूरी द्वारा उनके विद्यालय की पूर्व छात्रा पीड़िता की जन्म दिनांक के संबंध में अभिलेख चाहा गया। इस गवाह ने विद्यालय रिकॉर्ड के अनुसार पीड़िता की जन्म दिनांक 13.12.2009 होना कथन किया है तथा इस परिप्रेक्ष्य में पीड़िता के प्रवेश आवेदन पत्र की

प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी 1 ए व एसआर रजिस्टर की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी 2 ए को प्रदर्शित किया है। प्रदर्श पी 1 ए प्रवेश आवेदन पत्र के अवलोकन से पीड़िता द्वारा राज.उ.मा. विद्यालय डाबड़ी धीरसिंह में प्रथम कक्षा में प्रवेश लेना तथा उसकी जन्म दिनांक 13.12.2009 होना व अभिभावक/ सरंक्षक के रूप में पीड़िता के पिता मोहम्मद इकबाल की अंगुठा निशानी अंकित होना प्रकट होता है जिससे यह स्पष्ट है कि पीड़िता को उक्त विद्यालय में कक्षा प्रथम में प्रवेश उसके पिता द्वारा दिलवाया गया था तथा प्रवेश के समय प्रवेश आवेदन पत्र प्रदर्श पी 1 ए में पीड़िता के पिता द्वारा ही पीड़िता की जन्म दिनांक अंकित की गयी थी। पीड़िता की जन्म दिनांक का ज्ञान व जानकारी पीड़िता के पिता को होने से उसके द्वारा पीड़िता की जन्म दिनांक प्रवेश के समय अंकित करवायी गयी थी। पी डब्ल्यू 4 मोहम्मद इकबाल ने भी साक्ष्य में अपनी पुत्री पीड़िता की जन्म दिनांक 13.12.2009 होना बताया है तथा पीड़िता द्वारा भी न्यायालय में साक्ष्य के दौरान अपनी जन्म दिनांक 13.12.2009 ही होना बतायी गयी है। बचाव पक्ष की ओर से उक्त दस्तावेज के खण्डन में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया जिससे प्रवेश आवेदन प्रदर्श पी 1 ए में अंकित पीड़िता की उक्त जन्म दिनांक का कोई खण्डन होता हो। फलस्वरूप पीड़िता की जन्म दिनांक 13.12.2009 होना प्रमाणित होता है। चूंकि पीड़िता की जन्म दिनांक 13.12.2009 होने का तथ्य प्रमाणित है अतः पीड़िता घटना दिनांक 03.09.2025 को 18 वर्ष से कम आयु की होकर नाबालिग थी।

11. अब न्यायालय को यह देखना है किः–

''आया अभियुक्त ने दिनांक 03.09.2025 को करीब 10:30 एएम पर मौजा डाबड़ी धीरसिंह से अप्राप्तवय पीड़िता को उसके नैसर्गिक संरक्षक की विधिपूर्ण संरक्षकता से उसकी सम्मति के बिना बहला-फुसलाकर अपने गांव बेरी रामपुरा ले जाकर उसका व्यपहरण किया ?''

12. उपरोक्त विचारणीय बिन्दु को सन्देह से परे साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर है। इस क्रम में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 10 गवाहों को न्यायालय में पेश कर परीक्षित करवाया गया है जिनमें गवाह पी डब्ल्यू 7 पीड़िता है जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 03.09.2025 को

उसे अनिल ने फोन कर कहा था कि वह उसके पास नहीं गयी तो वह जहर खाकर मर जाएगा, अभियुक्त ने उसे बहला-फुसलाकर बुलाया था। वह अनिल को पहले से जानती थी। वह सुबह ग्यारह बजे अपने घर से निकलकर पिलानी व पिलानी से रामपुरा बस स्टेण्ड पर पहुंची थी जहां उसे अनिल मिल गया था। अनिल उसे अपने घर लेकर गया था और उसे अपने माता-पिता से मिलवाया था। दिनांक 04.09. 2025 को उसे पुलिस ले आयी थी। अभियुक्त ने उसके साथ गलत काम करने के लिए बुलाया था किन्तु उसे गलत काम करने का मौका नहीं मिला। पुलिस ने उसे दस्तयाब किया था। गवाह ने फर्द दस्तयाबी प्रदर्श पी 8 होना तथा पुलिस द्वारा उसकी निशादेही से दिनांक 15.09.2025 को नक्शा मौका व हालात मौका घटनास्थल प्रदर्श पी 7 तैयार किया जाना एवं मजिस्ट्रेट के समक्ष अपने बयान प्रदर्श पी 9 होना कथन किया है। **बचाव पक्ष द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में** इस गवाह ने यह स्वीकार किया है कि वह अपने घर से स्वयं चलकर गयी थी, घर से जाने से पहले वह अभियुक्त से कभी नहीं मिली थी। उसे अभियुक्त के मोबाइल नंबर आज याद नहीं है। अभियुक्त ने उसके साथ कोई आपराधिक कृत्य नहीं किया। उसने पुलिस को अपना फोन पेश नहीं किया और न ही कोई वार्ता, चैट आदि पेश की। पत्रावली पर उसके व आरोपी के मध्य वार्ता का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। वह जहां-जहां भी बस स्टेण्डों पर गयी वहां काफी यात्री मौजूद थे। उसका उसके घर से अपहरण नहीं किया गया।

13. पी डब्ल्यू 4 मोहम्मद इकबाल परिवादी एवं पीड़िता का पिता है जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 03.09.2025 को सुबह साढ़े दस–ग्यारह बजे वह खेत में गया हुआ था और उसकी पत्नी बाड़े में थी, उस समय पीड़िता घर से गायब थी। उन्होंने आकर देखा तो वह घर पर नहीं थी। उन्होंने आस–पास काफी तलाशा, लेकिन वह नहीं मिली। बाद में वह घर पर आ गयी थी। पीड़िता ने आकर बताया था कि उसे अनिल दबाव डालकर लेकर चला गया था। उसने पुलिस को रिपोर्ट दी थी जो प्रदर्श पी 5 है, चाक एफआईआर प्रदर्श पी 6 है, पुलिस ने मौके पर आकर नक्शा मौका व हालात मौका घटनास्थल प्रदर्श पी 7 तैयार किया था। **बचाव पक्ष द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में** इस गवाह ने यह

कथन किया है कि पीड़िता ने उन्हें कभी कोई शिकायत नहीं की थी। उन्होंने पीड़िता को किसी के साथ जाते या आते नहीं देखा। पीड़िता खुद ही घर से चलकर गयी थी, उसे घर से कोई नहीं लेकर गया था। वह अनिल को नहीं जानता है। पीड़िता ने उन्हें अनिल के बारे में कभी नहीं बताया था। पीड़िता हमेशा खुश रहती थी, वह कभी डरी सहमी नहीं दिखी थी।

14. पी डब्ल्यू 8 खातीजा पीड़िता की माता है जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 03.09.2025 को सुबह करीब 10:30-11:00 बजे पीड़िता घर पर अकेली ही थी, वह बाड़े में गई हुई थी व उसका पति खेत में गया हुआ था। जब वह वापस घर आयी तो पीड़िता नहीं मिली, उन्होंने उसे काफी तलाशा लेकिन वह कहीं नहीं मिली। उसके पति ने पुलिस को रिपोर्ट दी थी। बाद में पुलिस पीड़िता को आरोपी अनिल के घर से लेकर आयी थी। पीड़िता ने वापस आकर उन्हें बताया था कि अनिल उसे बहला–फुसलाकर लेकर गया था। अनिल ने पीड़िता से कहा था कि वह उसके पास नहीं गई तो वह मर जाएगा। पुलिस ने पीड़िता की निशादेही से दिनांक 15.09.2025 को नक्शा मौका व हालात मौका घटनास्थल प्रदर्श पी 7 तैयार किया था, प्रदर्श पी 10 आदेशिका पर एक्स स्थान पर उसकी अंगूठा निशानी है। **बचाव पक्ष द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में** इस गवाह ने यह कथन किया है कि उसने पीड़िता को घर से जाते नहीं देखा था। पीड़िता घर से अकेली ही गयी थी, उसे कोई लेकर नहीं गया था। पीड़िता ने पहले उनसे कभी कोई शिकायत नहीं की थी। उसने पीड़िता को किसी के द्वारा बहला–फुसलाते नहीं देखा। वह अनिल को नहीं जानती है।

15. पी डब्ल्यू 10 ओमप्रकाश पुत्र सोहनलाल पुलिस थाना धनूरी का तत्कालीन एएसआई है जिसने अपनी साक्ष्य में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 04.09.2025 अनुसंधान अधिकारी के निर्देशानुसार उसने अपहृता पीड़िता के मामा रफीक व रिश्तेदार आसिफ को साथ लेकर अपहृता की तलाश की, उस दौरान उसे वह आरोपी के घर होने की संभावना की सूचना मिली, तब वह आरोपी के घर पहुंचा जहां अपहृता पाई गई। उसे दस्तयाब किया गया जिसकी फर्द प्रदर्श पी 8 है। दिनांक 06.10.2025 को अनुसंधान अधिकारी ने उसके सामने आरोपी

को जरिए फर्द प्रदर्श पी 3 गिरफ्तार किया था। **बचाव पक्ष द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में** इस गवाह ने यह कथन किया है कि दस्तयाबी के समय पीड़िता के साथ आरोपी नहीं था। उसने आरोपी को देखा भी नहीं और न ही वह उसे जानता पहचानता है। उसने आरोपी के मकानों बाबत कोई दस्तावेज नहीं देखा। उसने कोई नक्शा मौका व हालात मौका घटनास्थल भी नहीं बनाया।

16. पी डब्ल्यू 5 आसिफ खोखर ने दिनांक 04.09.2025 को पुलिस द्वारा पीड़िता को जरिए फर्द प्रदर्श पी 8 दस्तयाब किये जाने के संबंध मे साक्ष्य दी है।

17. पी डब्ल्यू 6 मोहम्मद रफीक भी पीड़िता की दस्तयाबी का साक्षी है जिसने अपनी साक्ष्य में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 04.09.2025 को पुलिस ने पीड़िता को दस्तयाब कर उसकी फर्द बनाई थी जो प्रदर्श पी 8 है। पुलिस ने उसे व आसिफ को साथ लेकर पीड़िता को तलाश किया था तो वह आरोपी अनिल कुमार के घर पर पाई गई। **बचाव पक्ष द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में** इस गवाह ने यह कथन किया है कि पीड़िता अकेली ही थी। उसके सामने उक्त घर के स्वामित्व का कोई दस्तावेज नहीं देखा गया। वह अनिल को पहले से नहीं जानता था।

18. पी डब्ल्यू 2 बबीता पुलिसकर्मी है जिसने दिनांक 04.09.2025 को अनुसंधान अधिकारी के निर्देशानुसार अपहृता पीड़िता के बयान लेखबद्ध किये जाने के संबंध में साक्ष्य दी है।

19. पी डब्ल्यू 9 रामनारायण प्रकरण का प्रारंभिक अनुसंधान अधिकारी है जिसने स्वयं द्वारा अनुसंधान संबंधी किये गये कार्यों का विस्तृत विवरण देते हुए कथन किया है कि दिनांक 03.09.2025 को उसके समक्ष परिवादी मोहम्मद इकबाल ने टाईपशुदा रिपोर्ट प्रदर्श पी 5 पेश की थी जिसके आधार पर प्रदर्श पी 6 चाक एफआईआर दर्ज की गई थी। अनुसंधान के दौरान उसके द्वारा गवाहान के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध किए गए व बालिका की उम्र बाबत स्कूल रिकॉर्ड प्राप्त किया। पीड़िता को आरोपी अनिल के घर से दस्तयाब कर उसके समक्ष पेश किया गया। पीड़िता के बयान उसके कथनानुसार महिला कांस्टेबल

बबीता से लेखबद्ध करवाए व उसके न्यायालय में बयान करवाए गए। उसका स्वास्थ्य परीक्षण करवाया गया व बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश कर नियमानुसार निस्तारण करवाया गया। परिवादी पक्ष को नोटिस देकर जवाब लिया गया। अपहृता की निशादेही से मौके पर पहुंचकर नक्शा मौका व हालात मौका घटनास्थल तैयार किया गया, नक्शा मौका व हालात मौका घटनास्थल प्रदर्श पी 7 है। **बचाव पक्ष द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा** में इस साक्षी ने कथन किया है कि प्रदर्श पी 5 किसी के विरूद्ध पेश नहीं की गयी थी, यह केवल गुमशुदगी रिपोर्ट है। प्रदर्श पी 7 के स्थल के स्वामित्व का कोई दस्तावेज उसने प्राप्त नहीं किया। गवाह ने यह स्वीकार किया है कि उसके अनुसंधान में आया था कि पीड़िता को घर से कोई नहीं लेकर गया था और वह खुद ही गयी थी। उसके अनुसंधान में यह भी आया था कि पीड़िता का घर से किसी ने अपहरण नहीं किया था। आरोपी, पीड़िता के घर कभी नहीं आया था। पीड़िता ने कथन किए थे कि उसके साथ कोई गलत काम नहीं हुआ।

20. पी डब्ल्यू 3 ओमप्रकाश पुत्र पोखरमल प्रकरण का पश्चातवर्ती अनुसंधान अधिकारी है जिसने स्वयं द्वारा अनुसंधान संबंधी किये गये कार्यों का विस्तृत विवरण देते हुए कथन किया है कि सम्पूर्ण अनुसंधान से अभियुक्त के विरूद्ध धारा 137(2) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 84 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध साबित पाया गया और आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया। **बचाव पक्ष द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा** में इस साक्षी ने कथन किया है कि उसने आरोपी से कोई अनुसंधान नहीं किया।

21. हस्तगत प्रकरण में पीड़िता पी डब्ल्यू 7 प्रकरण की सबसे महत्वपूर्ण साक्षी है जिसकी साक्ष्य के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि इस साक्षी ने दिनांक 03.09.2025 को अभियुक्त द्वारा उसे फोन करके बुलाया जाना कथन किया है परन्तु अनुसंधान के दौरान न तो पीड़िता व अभियुक्त का कोई मोबाइल फोन जब्त किया गया और न ही उनके मोबाइल नंबरों से संबंधित कॉल डिटेल प्राप्त की गयी है जिससे यह प्रकट होता हो कि दिनांक 03.09.2025 को अभियुक्त द्वारा पीड़िता को कोई फोन किया गया हो। पीड़िता ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार

किया है कि पत्रावली पर उसके व आरोपी के मध्य वार्ता का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है।

22. पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है कि पीड़िता को अभियुक्त उसके घर से लेकर गया हो या अभियुक्त को किसी व्यक्ति ने पीड़िता को उसके घर से ले जाते हुए देखा हो बल्कि पीड़िता ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह सुबह ग्यारह बजे अपने घर से निकलकर पिलानी व पिलानी से रामपुरा बस स्टेण्ड पहुंची थी। प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि वह अपने घर से स्वयं चलकर गयी थी, घर से जाने से पहले वह अभियुक्त से कभी नहीं मिली थी। उसका उसके घर से अपहरण नहीं किया गया था। पीड़िता के पिता पी डब्ल्यू 4 मोहम्मद इकबाल ने भी अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि पीड़िता खुद ही घर से चलकर गयी थी, उसे घर से कोई नहीं लेकर गया था। पीड़िता की माता पी डब्ल्यू 8 खातीजा ने भी अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि पीड़िता घर से अकेली ही गयी थी, उसे कोई लेकर नहीं गया। पी डब्ल्यू 9 अनुसंधान अधिकारी ने भी अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि उसके अनुसंधान में यह आया कि पीड़िता को घर से कोई नहीं लेकर गया था, वह खुद ही गयी थी। पीड़िता का घर से किसी ने अपहरण नहीं किया था। आरोपी, पीड़िता के घर कभी नहीं आया था।

23. पीड़िता ने अपनी साक्ष्य में यह कथन किया है कि रामपुरा बस स्टेण्ड पर उसे अभियुक्त मिला था, अभियुक्त उसे अपने घर लेकर गया था और अपने माता-पिता से मिलवाया था। पीड़िता का यह भी कथन रहा है कि अभियुक्त ने उसे उसके साथ गलत काम करने के लिए बुलाया था। यदि अभियुक्त का आशय पीड़िता के साथ गलत काम करने का होता तो वह उसे अपने घर नहीं बुलाता और वह भी उस स्थिति में जब उसके माता-पिता घर पर ही मौजूद हो। इसके अतिरिक्त पीड़िता ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि अभियुक्त ने उसके साथ कोई आपराधिक कृत्य नहीं किया। ऐसी स्थिति में पीड़िता का यह कथन कि अभियुक्त ने उसके साथ गलत काम करने के लिए बुलाया था, यह तथ्य भी अभियोजन कहानी के प्रति सन्देह उत्पन्न करता है।

24. पी डब्ल्यू 10 ओमप्रकाश पुत्र सोहनलाल के अनुसार उसने दिनांक 04.09.2025 को पीड़िता को अभियुक्त के घर से दस्तयाब किया था परन्तु जिस स्थान से पीड़िता को दस्तयाब किया जाना बताया जा रहा है वह मकान अभियुक्त का ही हो इस बाबत कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य यथा उस मकान के स्वामित्व या आधिपत्य संबंधी कोई दस्तावेज अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। इसके अतिरिक्त मकान के आस-पड़ौस के किसी व्यक्ति को भी साक्ष्य में परीक्षित नहीं करवाया गया है जिससे यह प्रकट होता हो कि जिस मकान से पीड़िता को दस्तयाब किया गया वह मकान अभियुक्त का ही हो। ऐसी स्थिति में यह तथ्य सन्देहास्पद हो जाता है कि पीड़िता को अभियुक्त के मकान से ही दस्तयाब किया गया।

25. इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन साक्ष्य की उपरोक्त विवेचना से यह प्रकट होता है कि पीड़िता अपनी प्रतिपरीक्षा में स्वयं ही घर से चलकर जाना तथा अभियुक्त से पहले कभी नहीं मिलना स्वीकार करती है और यह कथन करती है कि उसका उसके घर से अपहरण नहीं किया गया। पीड़िता के माता-पिता भी अपनी साक्ष्य में पीड़िता का खुद ही घर से चले जाना, उसे घर से किसी के द्वारा नहीं ले जाना कथन करते हैं। पीड़िता ने अभियुक्त द्वारा फोन करके बुलाया जाना बताया है परन्तु पत्रावली पर अभियुक्त व पीड़िता के मध्य फोन पर वार्ता होने संबंधी कोई भी कॉल डिटेल या अन्य साक्ष्य नहीं आयी है। अनुसंधान अधिकारी ने भी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है उसके अनुसंधान में यह नहीं आया था कि पीड़िता को घर से कोई लेकर गया हो या पीड़िता का उसके घर से किसी ने अपहरण किया हो एवं आरोपी कभी पीड़िता के घर आया हो। ऐसी स्थिति में यह तथ्य सन्देहास्पद हो जाता है कि अभियुक्त द्वारा पीड़िता का अपहरण किया गया। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध तब तक साबित नहीं माना जा सकता जब तक कि अभियोजन पक्ष उक्त आरोप को सन्देह से परे साबित न कर दे। यदि अभियोजन पक्ष की कहानी में तनिक भी विरोधाभास एवं सन्देह है तो उस सन्देह का लाभ अभियुक्त को दिया जाना चाहिए।

26. उपरोक्त सम्पूर्ण विश्लेषणानुसार अभियोजन पक्ष यह तथ्य सन्देह से परे साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 03.09.2025 को मौजा डाबड़ी धीरसिंह से अप्राप्तवय पीड़िता को उसके नैसर्गिक संरक्षक की विधिपूर्ण संरक्षकता से उसकी सम्मति के बिना बहला-फुसलाकर अपने गांव बेरी रामपुरा ले जाकर उसका व्यपहरण किया। अतः अभियुक्त आरोपित अपराध से सन्देह का लाभ प्राप्त कर दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

27. परिणामतः अभियुक्त अनिल कुमार पुत्र कर्णसिंह, निवासी रामपुरा, पुलिस थाना हमीरवास, जिला चूरू को अपराध अन्तर्गत धारा **137(2)** भारतीय न्याय संहिता सपठित धारा **84** किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम के आरोप से सन्देह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

28. अभियुक्त के न्यायालय में उपस्थिति बाबत प्रस्तुत जमानत–मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

29. अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह धारा 481 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानान्तर्गत पच्चीस हजार रूपये की एक प्रतिभूति एवं इसी राशि का निजी बंधपत्र छः माह की अवधि के लिए पेश कर तस्दीक करावें कि इस निर्णय के विरूद्ध अपीलीय न्यायालय में अपील/रिवीजन प्रस्तुत करने की सूरत में नोटिस प्राप्त होने पर वह स्वयं अपीलीय न्यायालय में उपस्थित हो जाएगा।

(सुनील कुमार पंचोली)
सेशन न्यायाधीश
(बाल न्यायालय)
झुंझुनूं (राज०)

30. निर्णय आज दिनांक **19.06.2026** को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(सुनील कुमार पंचोली)
सेशन न्यायाधीश
(बाल न्यायालय)
झुंझुनूं (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by
Date: 2026.06.20 07:43:08 IST